न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/153 दायरा दिनांक : 26.09.2023

उनवान

देवीलाल आत्मज कालूलाल, उम्र 49 वर्ष, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़–राज0
2– तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़–राज0
3– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, झालावाड़–राज0 .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रामबाबू मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राहुल मीना सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालरापाटन रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.04.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र/589/2022 निर्णय दिनांक 13.09.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खाता संख्या 19 की खसरा नम्बर 573, 575, 878/343, 880/557, 882/558, 884/572, 886/574 ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ में स्थित है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 13.09.2023 प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज कर दिया ताकि समीप के खातेदारों को कृषि कार्य/जन उपयोगी कार्य हेतु आवागमन में बाधा उत्पन्न ना हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.12.2022 को भी निरस्त कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट खारिज किया। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि एवं पत्रावली के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह सहायता चाही गई थी कि प्रतिवादीगण वादी अपीलांट के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खाता संख्या 19 की खसरा नम्बर 573, 575, 878/343, 880/557, 882/558, 884/572, 886/574 की कुल किता 7 की ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन में स्थित है उक्त खाते की भूमि में रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, किसी अन्य से नहीं करावे एवं उक्त कृषि भूमि में न तो खाई खोदे, न मिट्टी डाले एवं न ही ऐसा कार्य करें जिससे उक्त भूमि कृषि अनुपयोग नहीं रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण मानते हुए वाद प्रस्तुती के पश्चात् अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था कि प्रार्थी/अपीलांट के खाते की आराजी खाता संख्या 19 की खसरा नम्बर 573, 575, 878/343, 880/557, 882/558, 884/572, 886/574 की कुल किता 7 की ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें और ना ही ऐसा किसी अन्य से करावे। प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी पर न तो खाई खोदे, न मिट्टी डाले, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें, जिससे प्रार्थी की आराजी काश्त हेतु अनुपयोगी हो जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अपीलांट वाद में वर्णित कृषि आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। रेस्पोडेंट अवैधानिक रूप से जबरन ताकत के बल पर अवैध मिट्टी खोदकर अपीलांट की कृषि भूमि पर रास्ता बनाने पर आमादा है। जबकि अपीलांट की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई कदीमी रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैध है। विधि के विरूद्ध जाकर पारित किया है जो निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करते समय अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति पर विचार कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में तथाकथित पटवारी, कानूनगों, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 21.07.2023 को मौके पर कच्चा रास्ता निकलना बताया है। जबकि पटवारी, कानूनगों द्वारा दिनांक 21.07.2023 को अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट बनायी गई है इसलिये एकतरफा त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट होने से निरस्तनीय है। बाली स्कूल, आंगनबाडी, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं डोडा ग्राम पंचायत जाने के लिये पूर्व में ही राजस्व रेकार्ड में रास्ता है इसलिये अपीलांट की कृषि आराजी पर किसी प्रकार का सड़क निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि प्रतिवादीगण को प्रार्थी/अपीलांट की कृषि भूमि पर किसी प्रकार की सड़क निर्माण करना होता तो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार धारा 251–क राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के सक्षम अधिकारी के यहां प्रकरण प्रस्तुत कर उसकी राशि जमा कराकर ही प्राप्त कर सकता है और वैसे भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक रास्ता पूर्व में मौजूद हो तो नया रास्ता निजी कृषि आराजी में से नहीं दिया जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में आलेखित किया है कि आमजन द्वारा कई वर्षों से रास्ते का उपयोग किया जा रहा है और अपीलांट द्वारा रास्ते को अवरूद्ध किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता में प्रार्थी अपीलांट की कृषि आराजी है जिसका एक मात्र रेकार्डेड खातेदार है। उक्त भूमि पर कभी भी कदीमी रास्ता नहीं रहा है। सरकारी केन्द्रों पर जाने के लिये पूर्व में ही वैकल्पिक रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। यहां यह भी आलेखित किया जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय में भी खातेदारों द्वारा किसी प्रकार का शपथ पत्र या बयान प्रस्तुत नहीं किया कि प्रार्थी की भूमि पर कदीमी रास्ता रहा है और मार्ग को अवरूद्ध किया है और आमजन इसका उपयोग करते हैं उसके बावजूद भी पत्रावली पर रास्ते के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो अवैध, विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। ग्राम बाली खसरा नम्बर 660 पर स्थित है और बाली स्कूल, आंगनबाडी, उपस्वास्थ्य केन्द्र व डोडा पंचायत खसरा नम्बर 478/763 पर स्थित है। ग्राम बाली से समस्त सरकारी केन्द्रों पर जाने के लिए राजस्व रेकार्ड में रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट की कृषि भूमि सरकारी केन्द्रों से काफी दूर है। इसलिये वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो तो नया रास्ता सुविधा अनुसार नहीं बनाया जा सकता है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2023 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था कि प्रार्थी/अपीलांट के खाते की आराजी खाता संख्या 19 की खसरा नम्बर 573, 575, 878/343, 880/557, 882/558, 884/572, 886/574 की कुल किता 7 की ग्राम बाली, तहसील झालरापाटन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें, न ऐसा किसी अन्य से करावें। प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, झालावाड़

पर न तो खाई खोदे, न मिट्टी डाले, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें, जिससे प्रार्थी की आराजी काश्त हेतु अनुपयोगी हो जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बाली तहसील झालरापाटन में स्थित स्कूल, आगनबाडी, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं डोडा ग्राम पंचायत पर जाने के लिए पूर्व से ही राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज है किन्तु अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में पूर्व से ही राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता या वैकल्पिक रास्ता होने के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य/दस्तावेजात पेश नहीं किया है। जबकि इसको सिद्ध करने का भार अपीलांट पर था। अपीलांट द्वारा यह कथन भी किया गया है कि उक्त भूमि पर कभी भी कदीमी रास्ता नहीं रहा है लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अतः अपीलांट यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि बाली स्कूल, आगनबाडी, उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं डोडा ग्राम पंचायत तक जाने हेतु पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में चालू रास्ता मौजूद है तथा खातेदार के खाते में से होकर कभी भी कदीमी रास्ता नहीं रहा है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/4/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा